भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1161

दिनांक 09 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

विषय: पालतू जानवरों का व्यापार

1161. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पालतू जानवरों के तेजी से बढ़ते व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कोई योजना बनाई है जो नाममात्र की या बिना किसी जवाबदेही के चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पालतू जानवरों के व्यापार हेतु विनियामक संरचना बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और जानवरों को क्रूरता से बचाने के उद्देश्य से पालतू पशु दुकानों में विभिन्न पालतू जानवरों को रखने के लिए विनिर्देशन क्या हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) और (ख) यह विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय की विदेश व्यापार नीति के अनुसार पालतू कुत्ते और पालतू बिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। नीति के तहत कुत्तों के आयात की अनुमति केवल निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दी जाती है:

i. मान्य पैट बुक और आयातक के नाम से संगत रिकॉर्ड/दस्तावेज के साथ पालतू कुत्ता।
ii. पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) की सिफारिश से शोध करने हेतु अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संगठनों द्वारा आयातित कुत्ते।
iii. रक्षा और पुलिस बल द्वारा आंतरिक सुरक्षा हेतु।

उपर्युक्त प्रयोजनों के अलावा प्रजनन या किसी अन्य व्यावसायिक कार्यकलाप हेतु व्यावसायिक कुतों के आयात की अनुमति नहीं है। भारत से कुत्तों का निर्यात निर्बाध श्रेणी में आता है।

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के तहत नियम, नामत: पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम, 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018 तैयार किए गए हैं, जिनमें श्वान प्रजनन केंद्रों में विभिन्न पालतू पशुओं और पालतू पशुओं की दुकानों में पालतू पशुओं को रखने हेतु स्थान संबंधी विनिर्देश दिए गए हैं। इन नियमों को पालतू पशुओं, विशेष रूप से कुत्तों, की अनावश्यक पीड़ा या यातना के निवारण हेतु बनाया गया है।

*****